-:प्रेस नोट दिनांक 18-10-2020:-

सर्विलांस/स्वाट टीम व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूटी गयी चैन, अंगूठी एवं घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र व सैन्ट्रो कार समेत 02 शातिर अभि0गण गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ संकल्प शर्मा के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण व सर्विलांस/स्वाट टीम तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विनोद कुमार चाहर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.10.2020 को समय करीब 04.30 बजे छोटे सरकार के पास से मुखबिर की सूचना पर दिनांक 05.10.2020 को प्रोफेसर कालोनी थाना कोतवाली बदायूं की महिला से चैन लूटने वाले 15000 रूपये के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त साहिल पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 चौधरी सराय थाना कोतवाली जनपद बदायूं तथा अभि0 इकबाल खपारा पुत्र अकील निवासी कबूलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूं सम्बन्धित मु0अ0सं0 345/2020 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली बदायूं को गिरफ्तार किया गया । अभि0गण के कब्जे से 01-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02-02 कारतूस 315 बोर बरामद किये गये । उपरोक्त के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 357/20 धारा 3/25आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 358/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभि0गण द्वारा अपने साथी सुशील पुत्र प्रेमदास निवासी कबूलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूं एवं नोहेब पुत्र मुसर्रफ निवासी कबूलपुरा गौटिया थाना कोतवाली बदायूं के साथ मिलकर दिनांक 23.09.2020 को लालपुल से सुरेन्द्र पाल सिंह को सहसवान न्यायालय में ड्यूटी पर जाते समय अपनी कार यूपी 26 E 6966 मे बैठाकर उनसे 03 अगूंठी, एक चैन, 700 रूपये व मोबाइल फोन लूटकर खाटू श्याम मन्दिर के पास गाडी से उतार दिया था । घटना में लूटी हुई चैन, अगूंठी एवं घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार अभियुक्त गण के कब्जे से बरामद हुई है । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना उझानी पर मु0अ0सं0 271/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत है एवं घटना में सह अभियुक्त सुशील को दिनांक 09.10.20 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । गिरफ्तार अभि0गण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 15000/- रूपये के इनाम की घोषणा की गयी ।

गिरफ्तार अभि0गण का विवरणः-

1. साहिल पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 चौधरी सराय थाना कोतवाली जनपद बदायूं तथा
2. इकबाल खपारा पुत्र अकील निवासी मौ0 कबूलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूं ।

फरार अभियुक्त का विवरण-

1. नोहेब पुत्र मुसर्रफ निवासी कबूलपुरा गौटिया थाना कोतवाली जनपद बदायूं

विवरण बरामदगी— 1. एक अगूंठी पीली धातु, 2. एक चैन पीली धातु, 3. घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार नं0 यूपी 26 E 6966, 4. 02 अवैध तमंचे 315 बोर व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त साहिल उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 345/2020 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली बदायूं

2.मु0अ0सं0 357/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बदायूं

3.मु0अ0सं0 623/2017 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली बदायूं

4.मु0अ0सं0 826/2017 धारा 307/392 भादवि थाना सिविल लाइन बदायूं

5.मु0अ0सं0 614/2018 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सिविल लाइन बदायूं

6.मु0अ0सं0 271/2020 धारा 392/411 भादवि थाना उझानी बदायूं

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इकबाल खपारा उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 358/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बदायूं

2. मु0अ0सं0 271/2020 धारा 392/411 भादवि थाना उझानी बदायूं

3. मु0अ0सं0 498/13 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बदायूं

4. मु0अ0सं0 516/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बदायूं

5. मु0अ0सं0 552/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बदायूं

6. मु0अ0सं0 558/12 धारा 307/452 भादवि थाना कोतवाली बदायूं

7. मु0अ0सं0 557/14 धारा 110 जी अधिनियम थाना कोतवाली बदायूं

8 .मु0अ0सं0 202/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बदायूं

9. मु0अ0सं0 818/16 धारा 452/307/504/506/468 भादवि थाना कोतवाली बदायूं

10. मु0अ0सं0 828/17 धारा 392/307 थाना सिविल लाइन बदायूं

11. मु0अ0सं0 614/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाइन बदायूं

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम – सर्विलांस/स्वाट टीम 1. उ0नि0 हरसिंह पाल, 2. उ0नि0 इन्तजार हुसैन, 3. कां0 604 शारिक मलिक, 5. कां0 424 अंकुर काकरान थाना कोतवाली जनपद बदायूं ।

सोशल मीडिया सैल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं ।